

# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर -482008

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/2145

दिनांक 31 JUL 2014

## आदेश

मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-4-38/2012/2/पचपन, दिनांक 4-9/10-13 को अधिग्रहित करते हुये श्रीकृष्ण हृदयालय क्रिटिकल केयर सेंटर, नागपुर को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अपने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की जांच/उपचार हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दरों पर आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 03.09.2015 तक के लिये सशर्त अनुशासित/चिन्हित करती है।

2. उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार के लिये शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- (1) कंपनी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच कराने के पूर्व कंपनी के चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के रोग से संबंधित विभागाध्यक्ष/विशेषज्ञ की अनुमति/अभिमत लेना आवश्यक होगा तथा चिकित्सा हेतु कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (2) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- (3) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन द्वारा राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जो दरें निर्धारित की गई हैं यदि उन दरों से प्रस्तावित अस्पताल की दरें कम हैं तो उन दरों पर तथा यदि प्रस्तावित अस्पताल की दरें राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की दरों से अधिक हैं तो राज्य के अंदर चिकित्सालय की दर से उपचार की दर सीमित करते हुये केवल 75% की सीमा तक की पात्रता होगी।
- (4) चिकित्सालय में म.प्र.शासन द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट लगाया जाना आवश्यक होगा तथा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जावेगा।
- (5) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर चिकित्सा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच कर सकेंगे।
- (6) म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जांच/इलाज की दर/पुनरीक्षित दर कंपनी के कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
- (7) किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कंपनी के द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान का चिन्हितकरण किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, समाप्त किया जा सकेगा।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी.)

म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर


क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/2146

दिनांक 31 JUL 2014

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
6. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन विकास)/(सीआरए)/(योजना एवं रूपांकन)/(अति उच्च दाब-संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(अति उच्च दाब-निर्माण)/(प्रोक्योरमेंट)/(परीक्षण एवं संचार)/(सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
7. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड चिकित्सालय, जबलपुर।
9. सलाहकार (परीक्षण एवं संचार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांस.-भण्डार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (वित्त)/(लेखा) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

12. संयुक्त/उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
13. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण) वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/नागदा/सतना/सागर/सिवनी।
14. अधीक्षण अभियंता, 400 केव्ही उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, भोपाल/खण्डवा/बीना।
15. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण संभाग)-एक/दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/कटनी/सिवनी/छिंदवाड़ा/भोपाल/इटारसी/होशंगाबाद/ब्यावरा/विदिशा/इंदौर/राजगढ़ (धार)/खण्डवा/बडवाह/उज्जैन/देवास/सुजालपुर/रतलाम/नीमच/ग्वालियर/गुना/शिवपुरी/मुरैना/सतना/रीवा/शहडोल/सागर/टीकमगढ़।
16. कार्यपालन अभियंता (अउदा-निर्माण) संभाग-एक/दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/सतना/सागर/भोपाल/इटारसी/इंदौर/उज्जैन/बडवाह/ग्वालियर/बीना।
17. कार्यपालन अभियंता (अउदा-संधारण) संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/सतना/इटारसी/ग्वालियर/इंदौर/रतलाम।
18. कार्यपालन अभियंता (ट्रांस.-भण्डार)संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/इटारसी/इंदौर।
19. कार्यपालन अभियंता (संचार)संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
20. कार्यपालन अभियंता, 400 केव्ही (परीक्षण) संभाग, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बीना/नागदा/इंदौर/भोपाल।
21. सलाहकार (कर्मशाला संभाग), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सीहोर।
22. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
23. निज सचिव, संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
24. चिकित्सा अधिकारी, कर्मशाला संभाग चिकित्सालय, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सीहोर।
25. कंपनी सचिव/कल्याण अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
26. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
27. ग्रंथपाल, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
28. वेब मास्टर, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
29. श्री सुबोध कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, श्रीकृष्ण हृदयालय क्रिटिकल केयर सेंटर, कांग्रेस नगर चौक, धन्तौली, नागपुर (महाराष्ट्र)- कृपया म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उपके परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार के दौरान समुचित समन्वय हेतु नोडल अधिकारी/चिकित्सक को अधिकृत कर, तत्संबंध में कंपनी को तत्काल सूचित करें।

  
अधीक्षण अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)  
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर